

लोक सभा में 8 जुलाई, 2004
को पुरःस्थापित रूप में

2004 का विधेयक संख्यांक 22

[दि फाइनेंस (नंबर 2) बिल, 2004 का हिंदी अनुवाद]

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 है ।
- 5 (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 60 तक 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।